



इंदिरा गांधी के मूल्यों को आगे बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी : खेड़ा

विशेष संवाददाता
भोपाल, 19 नवंबर. भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, लौह-इच्छाशक्ति की प्रतीक और देश की सामूहिक चेतना में रची-बसी इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर मंगलवार को राजधानी भोपाल में सम्यक अभियान - इंदिरा ज्योति तथा चलें रामराज्य की ओर पहल की शुरुआत की गई।
 इन कार्यक्रमों का शुभारंभ रवीन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
 इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कालिदास भूरिया और अरुण यादव, विधायक आरिफ मसूद, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रान्त भूरिया, पूर्व सांसद सुरेन्द्र सिंह और राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री मुकेश नायक, प्रवक्ता अभिनव बारोलिया, शेरार खान और वरिष्ठ नेता राजेन्द्र मिश्रा शामिल थे। कार्यक्रम संयोजक भास्कर रोकड़े, सम्यक अभियान के प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव, तथा संजय काले, प्रवीण सक्सेना और योगेश यादव भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रवक्ता और पदाधिकारी भूपेन्द्र गुप्ता, रवि सक्सेना, अरुनीश बुंदेला, आनंद जात, प्रवीण धौलपुरिया, विक्रम चौधरी और एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप परमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ जयंती समारोह में भाग लिया। इंदिरा गांधी के बचपन का एक प्रसंग याद करते हुए खेड़ा ने बताया कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब पाँच वर्षीया इंदिरा को पता चला कि उनकी प्रिय गुड़िया विदेशी है, तो उन्होंने देशहित में उसे जला दिया था।

जनजागरण कार्यक्रम पूरे देश में करें आयोजित

चलें रामराज्य की ओर अभियान का उद्देश्य, आयोजकों के अनुसार, न्याय, समानता, करुणा और संवेदनशीलता पर आधारित समावेशी शासन की दृष्टि प्रस्तुत करना है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कोर कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों की भागीदारी और उन्नयन पर विशेष जोर देगी। सम्यक अभियान के अंतर्गत इस पहल का शुभारंभ करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसे वैचारिक और जनजागरण कार्यक्रम केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, उनकी विरासत का संरक्षण और उनके मूल्यों को आगे बढ़ाना, उन्होंने कहा, सबकी साझा जिम्मेदारी है।

परिणाम : आदिवासी समाज में तीव्र आक्रोश

विशेष संवाददाता
भोपाल, 19 नवंबर. मध्यप्रदेश सिविल जज-2022 परीक्षा के अंतिम परिणामों ने पूरे आदिवासी समुदाय में गहरा सदमा और तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। कुल 191 रिक्त पदों में से 121 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। आदिवासी नेतृत्व ने इसे मात्र प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में गहराई से जमी पक्षपातपूर्ण और संरचनात्मक भेदभाव की स्पष्ट मिसाल बताया है। पिछले चार वर्षों से यही पैटर्न दोहराया जा रहा है, जिसमें पेटेंट

तीन कलेक्टरों पर आयोग ने जताई नाराजगी

कलेक्टरों को कड़ी फटकार लगाई है।
 आयोग की निदेशक शुभा सक्सेना ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगली बैठक से पहले सुधार नहीं होने पर संबंधित कलेक्टरों और उनके अधीनस्थ अमले पर कार्रवाई तय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सक्सेना ने इन जिलों में एसआईआई डिजिटाइजेशन की बेहद कम प्रगति को गंभीर लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों वाले जिलों में डिजिटाइजेशन प्रतिशत अभी भी दस प्रतिशत से नीचे है, जो स्वीकार्य नहीं है।

विचार-विमर्श : जनसंपर्क अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित

प्रभावी संप्रेषण और डिजिटल सक्रियता बढ़ाएं : दीपक
 भोपाल. राजधानी के होटल अशोका लेक व्यू में मंगलवार को जनसंपर्क अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना ने की। कार्यक्रम में अपर आयुक्त जी.एस. बाधवा, संजय जैन, संयुक्त संचालक अशोक मनवानी और पंकज मिश्र सहित विभाग के उप संचालक, सहायक संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में विभागीय कार्यों की समीक्षा, चुनौतियों पर चर्चा और जनसंपर्क तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त सक्सेना ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बदलते मीडिया परिवेश में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहना अब विभाग की प्रमुख आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सूचनाओं का सटीक, समयबद्ध और आकर्षक प्रसारण सुनिश्चित किया जाय। आयुक्त ने अधिकारियों से पत्रकारों के साथ सतत संवाद बनाए रखने, घटनाओं पर तुरंत

योजनाओं में शिथिलता स्वीकार नहीं

विभागीय समीक्षा में मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 19 नवंबर. महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों से जुड़ी प्रत्येक सेवा का क्रियान्वयन संवेदनशील, समयबद्ध और पारदर्शी हो। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने विभाग की प्रमुख योजनाओं—मिशन वास्तव्य, मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना, पोषण अभियान और आंगनवाड़ी सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग की प्रत्येक योजना

संकट की घड़ी में एक त्वरित प्रतिक्रिया किसी बच्चे या महिला के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। मंत्री ने निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारियों को लाभार्थियों से सीधे संवाद करते हुए मौके पर सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया को और मजबूत करना चाहिए। आयुक्त निधि निवेदिता ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन, चयन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी भर्ती, पोषण स्तर में सुधार, टेक-होम राशन की गुणवत्ता और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

साथ ही महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों तक पहुंचती है जो सुरक्षा, पोषण और सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं, इसलिए क्रियान्वयन में किसी तरह की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। सुश्री भूरिया ने विशेष रूप से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि ये सेवाएं चौबीसों घंटे पूरी संवेदनशीलता के साथ सक्रिय रहें।

देश को मिलेगा स्वदेशी ड्रोन तकनीक का तोहफा

ग्वालियर, 19 नवंबर. सीमा सुरक्षा बल अकादमी ग्वालियर ने आईआईटी दिल्ली समेत कुछ और संस्थानों के साथ मिलकर देश में पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। इसी क्रम में 10 नवंबर को तीन संस्थानों के बीच हुए सहमति पत्र (एमओयू) के बाद कल आईआईटी दिल्ली, सोनीपत कैम्पस में एक दिवसीय मंथन सत्र आयोजित किया गया। बीएसएफ अकादमी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आईआईटी दिल्ली के डीन (आर एंड डी), प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए इस महत्वपूर्ण सत्र में 20 फैकल्टी सदस्यों के एक रिसर्च ग्रुप ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र ड्रोन टेक्नोलॉजी के सभी अत्याधुनिक पहलू रहे, जिनमें हल्के कॉंपोजिट मैटेरियल, प्रोपानेन प्रणाली, वायुगतिकी, कम तापमान वाली बैटरी, मोटर और नियंत्रण प्रणाली, सेंसिंग और सुरक्षित संचार जैसे विषय शामिल थे।

बीएलओ मतदाता का भौतिक सत्यापन करेंगे

सीईओ झा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 19 नवंबर. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र संजीव कुमार झा ने बुधवार को निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और प्रदेश में चल रहे एसआईआर कार्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही मतदाता सूची को शुद्ध व त्रुटिरहित बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान झा ने कहा कि एसआईआर कार्य के लिए बीएलओ अपने मतदान केंद्र के तहत आने वाले प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे और मतदाता का

निरीक्षण करने पहुंची टीम पर पत्थरों से हमला

एसआईआर सर्व को निरीक्षण करने गई थी टीम
नायब तहसीलदार और बीएलओ घायल
02 गिरफ्तार और एक फरार
रतलाम। जिले में मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का कार्य जारी है। इसी के तहत जिले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एसआईआर कार्य का निरीक्षण करने पहुंची टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। इसमें तहसीलदार व बीएलओ घायल हो गए। घटना रावटी थाना क्षेत्र के जुलवानिया पंचायत के अधरशिला गांव की रही। यहां नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हुए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। सूचना के बाद एडीएम

एसआईआर कार्य में लापरवाही : दो बीएलओ निलंबित, 5 का वेतन रोका

नवभारत न्यूज
रतलाम। जिले में मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही करने पर दो बीएलओ को निलंबित किया है। वहीं दोना को नोटिस और 5 का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम शहर आर्ची हरित ने बताया कि निर्वाचन नामावली

क्र.	उत्तराक्त का नाम और पता	डिमांड नोटिस तिथि और एनपीए तिथि	अवल संपत्ति का विवरण
1.	1. मेसर्स इंदिरा इंटरप्राइजेज , इसके प्रोपराइटर श्री हरीश कुमार खेचू के माध्यम से. पता: 7/1/1 बरदरी सन्वार रोड, इंदौर-453111, मध्य प्रदेश, मोबाइल- 9424595319 ईमेल - Harshindul@gmail.com 2. श्री हरीश कुमार खेचू पुत्र बाबूलाल खेचू, पता- 19, निपाणिया डीपीएस स्कूल के पास, इंदौर- 452016, मध्य प्रदेश. इसके अलावा - श्री हरीश कुमार खेचू पुत्र बाबूलाल खेचू, पता- 7/1/1 बरदरी सन्वार रोड, इंदौर-453111, मध्य प्रदेश रण खाता नंबर - ABINDSTS00000751373	02.11.2025 एवं 12.11.2025 11.11.2025 को रु. 70,16,976.04	व्यक्तिगत भूमि पर निर्मित व्यावसायिक संपत्ति का दफ्तार टुकड़ा, जिसका संख्या क्रमांक 7/1/6 (पुराना) मध्य प्रदेश 7/1/1 (पैकी) है, जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग फुट है. यह ग्राम बरदारी, तहसील साहेर (वर्तमान में इस्करावा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश), पिन कोड-453111 में स्थित है. इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व - श्री विश्वरत्न जी की भूमि, पश्चिम - ग्राम रोड, उत्तर - ग्राम रोड, दक्षिण - श्री राजेश जी की भूमि.

अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लिखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि. यदि उक्त उत्तराक्तों उपरानुसार एबीसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अवल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो पूरी तरह से जोड़ियम में है. उक्त उत्तराक्तों/कानूनी प्रतिनिधि (ओ) पर लागत और परिणाम के बारे में. उक्त उत्तराक्तों/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अवल संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, चाहे किसी के माध्यम से, पढ़े के माध्यम से या अन्यथा. एबीसीएल की पूर्ण लिखित सहमति के बिना कृपया ध्यान दें कि यह विधायक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के तहत एक अंतिम नोटिस है. कर्ता की जरूरत नहीं है कि एबीसीएल को उत्तराक्तों के खिलाफ ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग पूरी तरह से अपने जोड़ियम, जिम्मेदारी और लागत पर करने का अधिकार होगा.

स्थान- इंदौर, मध्य प्रदेश
 दिनांक- 20.11.2025
 अधिकृत अधिकारी
 आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे

भोपाल, 19 नवंबर. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बुधवार को विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लाभांशित परिवारजन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य शासन का आभार व्यक्त किया. मंत्री काश्यप ने सहायक ग्रेड वर्ग-3 के पद पर शुभम सोनकर, जकाउल्ला और सुश्री समृद्धि शर्मा को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. लोकेश मोहार को भृत्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है।

पैक्स-स्व सहायता समूह के बीच साझेदारी का रोडमैप तैयार करें


प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 19 नवंबर. सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीपीपीपी तहत जीआईएस-2025 के दौरान हुए एमओयू की प्रगति, नवाचार प्रकोष्ठ की गतिविधियों तथा सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने

सीपीपीपी नवाचार की सबसेस स्टोरी करें तैयार

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सीपीपीपी नवाचार की सबसेस स्टोरी तैयार की जाए. इस नवाचार को दस्तावेज रूप में भी संकलित किया जाए. मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर सहकारी बैंकों के सीईओ के माध्यम से किसानों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव एकत्र किए जाएं. जिससे मुख्यालय से आवश्यक सुधार करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जनहितैषी छवि को सुदृढ़ करने में जनसंपर्क विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसलिए योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए नवीन तरीकों और डिजिटल नवाचारों को अपनाया आवश्यक है. कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि फील्ड में अधिक समय बिताएं, स्थानीय स्तर की सकारात्मक कहानियां खोजें और उन्हें राज्य स्तर तक पहुंचाएं. आयुक्त ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक तभी पहुंचेगा, जब जिले का जनसंपर्क तंत्र संवेदनशीलता के साथ सक्रिय रहेगा. इसके साथ ही ऐसी घटनाएं, जिनका प्रदेश स्तर पर महत्व हो, उन्हें बिना विलंब डिजिटल माध्यम से भेजा जाए. उन्होंने बताया कि प्रत्येक संभाग के लिए एक-एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो फील्ड अधिकारियों के साथ समन्वय कर सूचनाओं का सुचारु संप्रेषण सुनिश्चित करेंगे. आधुनिक न्यूज फॉर्मेट, मल्टीमीडिया कंटेंट, रियल-टाइम अपडेट और सटीक तथ्य प्रस्तुतिकरण पर भी विशेष बल दिया. शाम तक चर्ची इस कार्यशाला में अधिकारियों को विभागीय प्रशिक्षण भी दिया.

प्रसारण सुनिश्चित किया जाय। आयुक्त ने अधिकारियों से पत्रकारों के साथ सतत संवाद बनाए रखने, घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक सरल भाषा में पहुंचाने पर जोर दिया.



आयोजित स्वदेशी मेला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल शाम 6.10 बजे सर्किट हाउस रोड, वार्ड नं. 22, मारडीक गली पहुंचकर सांसद डॉ. भारती पारधी से भेंट करने के बाद शाम 6.45 बजे जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवर के निवास पहुंचकर उनके पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।

साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया. बैठक में आम आदमी पार्टी से सुमित सिंह चौहान, बहुजन समाज पार्टी से सीएल चौहान, भारतीय जनता पार्टी से भगवान दास सबनानी, रजनीश अग्रवाल, एएसएस उपपल, कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा, जेपी धनोपिया, ललित सेन, सीपीआई एम वीवी रामचंद्रन, पूषन भट्टाचार्य मौजूद रहे.

प्रतिनिधियों से बीएलओ को सही जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करने का आग्रह किया है. जिससे मतदाता सूची को शुद्ध व त्रुटि रहित बनाया जा सके.

पुलिस टीम ने कारवाई करते हुए हमले में शामिल सायसिंह पिता रायसिंह गामड़ (28) साल निवासी ग्राम उमर और बापू ताड़ पिता बच्चा ताड़ (55) निवासी ढोल फटा, ग्राम उमर को गिरफ्तार किया। वहीं शोकसिंह पिता रायसिंह गामड़ (31) निवासी उमर फरार हैं। नशे में थे आरोपी, नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत के साथ गए पटवारी बाबूलाल मुनिया के बताया कि वे अधरशिला गांव की नहर पुलिया के पास बीएलओ विक्रमसिंह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से एसआईआर कार्य

से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपील ग्राम उमर के निवासी हैं।

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रोडन कोम्पाउंड, वैरावल, गुजरात-362 266.
 कॉर्पोरेट कार्यालय- 12वीं मंजिल, आर टैक पार्क, सिरिलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरगांव (पूर्व) मुंबई-400 063 महाराष्ट्र

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के साथ पठित

दिनांक 11.03.2024 की सम्मेलन योजना के तहत आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच हुए सम्मेलन के कारण, डिटेल् राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विहित दर्ज किया गया है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उल्लिखित गिरी वस्तु के संबंध में चरु की गई थी।
 रतलाम, अहोरात्राहारी, अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(1) के तहत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित गिरी वस्तु के संबंध में चरु की गई है।
 13(2) के तहत नाम नोटिस जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उत्तराक्तों से उक्त नोटिस को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. उल्लिखित राशि का यथावत विचार है कि उत्तराक्तों/उत्तराक्तों मांग सूचना/सूचनाओं की तारीख से बच रहे है. इवलिट सूचना को तारीख निम्नानुसार विचारकर और एकत्रित करके की जा रही है. मांग सूचना/सूचनाओं की तिथि-वस्तु नीचे दी गई है:-
 1. **मेसर्स इंदिरा इंटरप्राइजेज**, इसके प्रोपराइटर श्री हरीश कुमार खेचू के माध्यम से. पता: 7/1/1 बरदरी सन्वार रोड, इंदौर-453111, मध्य प्रदेश, मोबाइल- 9424595319 ईमेल - Harshindul@gmail.com
 2. **श्री हरीश कुमार खेचू** पुत्र बाबूलाल खेचू, पता- 19, निपाणिया डीपीएस स्कूल के पास, इंदौर- 452016, मध्य प्रदेश. **इसके अलावा**- श्री हरीश कुमार खेचू पुत्र बाबूलाल खेचू, पता- 7/1/1 बरदरी सन्वार रोड, इंदौर-453111, मध्य प्रदेश
रण खाता नंबर - ABINDSTS00000751373

अतिरिक्त ब्याज के साथ, ऊपर उल्लिखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से बताई गई दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि. यदि उक्त उत्तराक्तों उपरानुसार एबीसीएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो एबीसीएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अवल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो पूरी तरह से जोड़ियम में है. उक्त उत्तराक्तों/कानूनी प्रतिनिधि (ओ) पर लागत और परिणाम के बारे में. उक्त उत्तराक्तों/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को उक्त अधिनियम के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति/अवल संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, चाहे किसी के माध्यम से, पढ़े के माध्यम से या अन्यथा. एबीसीएल की पूर्ण लिखित सहमति के बिना कृपया ध्यान दें कि यह विधायक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) के तहत एक अंतिम नोटिस है. कर्ता की जरूरत नहीं है कि एबीसीएल को उत्तराक्तों के खिलाफ ऊपर उल्लिखित किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग पूरी तरह से अपने जोड़ियम, जिम्मेदारी और लागत पर करने का अधिकार होगा.

स्थान- इंदौर, मध्य प्रदेश
 दिनांक- 20.11.2025
 अधिकृत अधिकारी
 आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड